

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18721/2023

नानूराम चुयाल पुत्र श्री मूला राम चुयाल, आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी जी-57, हर्ष पथ, श्याम नगर, जयपुर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, द्वारा प्रधान सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर।

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री अजीत भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, के संग श्री तनवीर अहमद, श्री नामो नारायण शर्मा
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री सुरेंद्र सिंह नरुका, ए.ए.जी. के संग श्री मनीषा अरोड़ा, परिवहन आयुक्त

माननीय श्री. जस्टिस समीर जैन

प्रकाशनी

आरक्षित किया गया दिनांक 13.05.2024

उच्चारित किया गया 29.05.2024

प्रारंभिक टिप्पणियाँ:

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /527/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें) (30/05/2025 को सुबह 12:38:29 बजे डाउनलोड किया गया)

1. सुविधा की दृष्टि से तथा इस विवाद की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय उचित समझता है कि तत्काल निर्णय को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित किया जाए, अर्थात्:-

क. पृष्ठभूमि एवं तथ्यात्मक तत्व

ख. याचिकाकर्ता के माननीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ

ग. प्रतिवादियों के माननीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ

घ. विधिक प्रावधानों की व्याख्या

2. यह याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ प्रस्तुत की गई है:

“1. आदेश दिनांक 19.10.2023 (संलग्नक-2) को कृपया निरस्त कर दिया जाए और तदनुसार, प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाए कि न्याय के हित में याचिकाकर्ता को सेवा में पुनः बहाल कर सेवा जारी रखी जाए;

2. कोई अन्य उपयुक्त आदेश, जो इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और सही पाया जाए, याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।”

ए. पृष्ठभूमि एवं तथ्यात्मक तत्व:-

3. विषय का सार यह है कि याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति प्रतिवादी-विभाग में दिनांक 11.10.1997 से प्रभावी रूप से हुई थी, और समय के साथ, उसे अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के पद पर पदोन्नत किया गया, जहाँ याचिकाकर्ता ने अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा एवं अपने वरिष्ठ अधिकारियों की पूर्ण

संतुष्टि के साथ किया। याचिकाकर्ता की नियुक्ति का प्राधिकारी अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्रशासनिक सचिव का पद संभाल रहे परिवहन आयुक्त थे। सभी कर्तव्यों को ईमानदारीपूर्वक 26 वर्षों तक निभाने के बाद, याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक/समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए परिवहन आयुक्त के समक्ष (अर्थात् वी आर एस) आवेदन प्रस्तुत किया, आवेदन दिनांक 18.10.2023 (संलग्नक-1), ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बन सके। उक्त आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि याचिकाकर्ता राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50 के तहत वी आर एस के लिए पूर्णतः योग्य था (जिसे आगे नियम 1996 कहा गया है)। चूंकि वह पहले ही पिछले 26 वर्षों से सेवा में था और उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं थी। उक्त आवेदन को प्रतिवादियों द्वारा पत्र दिनांक 19.10.2023 (संलग्नक-2) के माध्यम से शीघ्रता से स्वीकार कर लिया गया।

4. हालांकि, समय के साथ, और आगामी चुनावों में प्रतिभाग न करने के निर्णय के कारण एक पश्चात्ताप के रूप में, याचिकाकर्ता ने अपना वी आर एस आवेदन वापस लेने की इच्छा प्रकट की। इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात् परिवहन आयुक्त के समक्ष, सेवा में पुनर्बहाली हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो दिनांक 07.11.2023 (संलग्नक-3) का था। तथापि, वी आर एस वापसी हेतु प्रस्तुत उक्त आवेदन प्रतिवादियों द्वारा विचार नहीं किया गया और अतः किसी अन्य वैकल्पिक एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध न होने पर, वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई।

याचिकाकर्ता के माननीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ

5. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता के माननीय अधिवक्ता श्री अजीत भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के वी आर एस आवेदन को तत्काल स्वीकार करना स्थापित विधि-प्रावधानों के विरुद्ध है, क्योंकि निर्धारित तीन माह की अवधि याचिकाकर्ता को आवेदन पर पुनर्विचार या अपने निर्णय के लिए नहीं दी गई। अतः, प्रतिवादियों द्वारा पारित आरोपित आदेश अवैध, मनमाना और दुर्भावनापूर्ण है। उक्त तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने नियम 1996 के नियम 50(1) पर विश्वास व्यक्त किया, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:

“50. 15 वर्षों की पात्र सेवा पूर्ण होने पर सेवा से सेवानिवृत्ति।

(1) किसी भी समय जब कोई सरकारी कर्मचारी पंद्रह वर्षों की पात्र सेवा पूर्ण कर लेता है, तो वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में कम से कम तीन महीने का नोटिस देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है।”

6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह प्रस्तुत किया कि उक्त वी आर एस आवेदन की स्वीकृति राज्यपाल द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित नहीं थी, जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है। इस संबंध में प्रस्तुत किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 166 और राजस्थान कार्य संचालन नियमों के नियम 11 और 12 के अनुसार, किसी भी आदेश या साधन जिस पर राजस्थान सरकार के नाम या उसकी ओर से कार्य किया जाना है, उसकी स्वीकृति उचित प्रक्रिया के तहत राज्यपाल के नाम से की जानी चाहिए। पूर्व में,

प्रस्तुत मामले में स्वीकृति केवल नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् परिवहन आयुक्त द्वारा ही दी गई थी। अतः, आरोपित आदेश दिनांक 19.10.2023 को निरस्त किया जाना चाहिए और पुनः नियुक्ति के आवेदन को विधिवत रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए तथा मध्यवर्ती अवधि को 'असाधारण अवकाश' के शीर्षक/हेड में समायोजित किया जाना चाहिए।

7. अभिलेखित तर्कों के समर्थन में, माननीय अधिवक्ता ने एस बी सी डब्ल्यू पी संख्या. 5997/2015 शीर्षक: भंवरलाल नागा बनाम राज्य राजस्थान तथा डी.बी. एस ए डब्ल्यू संख्या. 270/2010 शीर्षक: जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम लालाराम एवं अन्य में दिए गए कथन पर भरोसा जताया। उपर्युक्त निर्णयों पर भरोसा रखते हुए प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामला भी इसी प्रकार का है जिसमें व्यापार नियमों के प्रावधानों की अवहेलना की गई है, जिससे इस न्यायालय का हस्तक्षेप उचित ठहरता है।

8. अंततः, यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध पक्षपाती दृष्टिकोण अपनाया है, क्योंकि विभाग के एक अन्य कर्मचारी श्री मन्नालाल रावत के संदर्भ में इसी प्रकार की स्थिति में संबंधित वी आर एस आवेदन केवल राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही अनुमोदित किया गया था (संलग्नक-7)।

प्रतिवादियों के माननीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ

9. प्रतिशोध में, प्रतिवादियों के माननीय अधिवक्ता श्री एस.एस. नरूका एएजी, परिवहन आयुक्त के साथ, ने याचिकाकर्ता के माननीय अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता और श्री रावत का मामला समान स्तर का है और दोनों मामलों में समान दृष्टिकोण अपनाया गया, अर्थात् उनके वी

आर एस के आवेदन सचिव तक गए और संबंधित प्राधिकरणों की विधिवत स्वीकृति प्राप्त की गई। इस संबंध में, माननीय अधिवक्ता ने संलग्नक-2 और संलग्नक-7 पर भरोसा जताया और तर्क दिया कि दोनों स्वीकृति पत्र परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित हैं। अतः, याचिकाकर्ता के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया गया।

10. माननीय अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के वी आर एस आवेदन की दिनांक 19.10.2023 को स्वीकृति के पश्चात्, याचिकाकर्ता द्वारा काफी समय तक कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और वास्तव में, जब उक्त चुनावों के लिए उसकी उम्मीदवारी स्वीकृत नहीं हुई, तभी देर से उक्त स्वीकृति प्राधिकारी की अयोग्यता का दावा किया गया। अतः, माननीय अधिवक्ता ने निश्चित रूप से तर्क दिया कि ये युक्तियाँ याचिकाकर्ता द्वारा केवल उस तथ्य को छुपाने के लिए अपनाई गई हैं कि जब याचिकाकर्ता एक साथ दो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता था, तो वह कोई भी प्राप्त नहीं कर सका।

चर्चा एवं निष्कर्ष

11. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना और विचार किया गया, याचिका के अभिलेख और प्रस्तुत निर्णयों का अवलोकन किया गया।

12. वर्तमान याचिका के अभिलेख का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने पर, निम्नलिखित उल्लेखनीय निष्कर्ष तथा/या तथ्य प्रकट हुए, जो यहाँ उल्लेखित हैं:-

12.1 याचिकाकर्ता की नियुक्ति प्रतिवादी विभाग में हुई थी और बाद में उसे अतिरिक्त परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया। सेवा में रहते हुए, आवेदन दिनांक 18.10.2023 के माध्यम से याचिकाकर्ता ने वी आर एस के लिए आवेदन किया।

12.2 पत्र दिनांक 19.10.2023 के माध्यम से, याचिकाकर्ता के वी आर एस आवेदन को प्रतिवादी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके सेवा अभिलेख एवं याचिकाकर्ता द्वारा प्रदर्शित तत्परता को ध्यान में रखते हुए स्वीकार कर लिया गया।

12.3 संबंधित चुनाव के लिए टिकट प्राप्त करने में असफल रहने पर, याचिकाकर्ता ने लगभग एक माह की देरी के साथ, अपने स्वीकृत वी आर एस आवेदन को वापस लेने और निरस्त करने के लिए आवेदन किया, जिसे पहले ही 19.10.2023 को स्वीकार किया जा चुका था।

12.4 अभिलेख के अनुसार, यह स्पष्ट है कि वी आर एस आवेदन की स्वीकृति राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित न होने अथवा निष्पादित न होने संबंधी याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति केवल उस समय उठाई गई जब (i) उसके वापसी आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया और (ii) याचिकाकर्ता आगामी चुनावों के लिए प्रत्याशी अधिकार सुरक्षित नहीं कर सका। उक्त आधार/आपत्ति को याचिकाकर्ता द्वारा पत्र दिनांक 19.10.2023 के निरस्तीकरण हेतु प्रतिवादियों के समक्ष आवेदन करते समय कभी नहीं उठाया गया।

13. इस बिंदु पर, यह न्यायालय उचित समझता है कि प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया जाए, जिनका इस न्यायालय के समक्ष उठे प्रश्नों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। उक्त प्रावधान नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

50. [15 वर्षों की पात्र सेवा पूर्ण होने पर सेवा से सेवानिवृत्ति

(1) जब कोई सरकारी कर्मचारी पंद्रह वर्षों की पात्र सेवा पूर्ण कर लेता है, तो वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में कम से कम तीन महीने का नोटिस देकर सेवा से सेवानिवृत्ति ले सकता है।

(2) उप नियम (1) के तहत दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना की स्वीकृति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवश्यक होगी:

यह प्रावधान किया गया है कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुमति देने से इंकार नहीं करता, वहाँ उक्त सूचना में निर्धारित अवधि की समाप्ति की तिथि से सेवानिवृत्ति स्वतः प्रभावी हो जाएगी।

राजस्थान सरकार का निर्णय - सूचना की स्वीकृति के लिए मार्गदर्शिका: पंद्रह वर्षों की पात्र सेवा पूर्ण होने के बाद दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना की स्वीकृति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवश्यक होगी। ऐसी स्वीकृति सामान्यतः सभी मामलों में दी जा सकती है, सिवाय उन परिस्थितियों के, जब नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने की अनुमति निम्नलिखित परिस्थितियों में रोक सकता है:

(i) जो निलंबन में है;

(ii) जिसके मामले में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है या प्रमुख दंड की संभावना की दृष्टि से विचाराधीन है, और अनुशासनात्मक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह विचार करता है कि ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई से सेवा से हटाने या बर्खास्त करने का दंड हो सकता है; (iii) जिसके मामले में अभियोजन की कार्रवाई विचाराधीन है या कानून की अदालत में आरंभ की जा चुकी है। ऐसे मामलों में, यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करने का प्रस्ताव है, तो सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। जब भी सरकारी कर्मचारी द्वारा दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना की स्वीकृति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवश्यक हो, तो सूचना

देने वाले सरकारी कर्मचारी को स्वीकृति मान ली जाएगी और सेवानिवृत्ति सूचना की शर्तों के अनुसार प्रभावी होगी, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी सूचना की अवधि की समाप्ति से पहले विपरीत कोई आदेश जारी न करे।

(3)(ए) उप नियम (1) में उल्लिखित सरकारी कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में यह अनुरोध कर सकता है कि वह तीन माह से कम की सूचना पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करे, तथा उसके कारण बताए;

(बी) उप क्लॉज (ए) के तहत किए गए अनुरोध की प्राप्ति पर, नियुक्ति प्राधिकारी, उप नियम (2) के प्रावधानों के अधीन, ऐसी सूचना की अवधि को तीन माह से कम करने के अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है और यदि नियुक्ति प्राधिकारी यह संतुष्ट हो कि सूचना की अवधि को घटाने से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी, तो वह तीन माह की सूचना की आवश्यकता को शिथिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

राजस्थान सरकार का निर्णय : यदि कोई सरकारी कर्मचारी राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहता है, ताकि वह संसद/राज्य विधानसभा/नगरपालिकाओं/पंचायती राज संस्थाओं के किसी भी चुनाव में भाग ले सके, तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी पूर्वाग्रह के, तुरंत नियम 50 के तहत सेवानिवृत्त किया जा सकता है, बशर्ते सरकार कारणों की सत्यता तथा प्रदान की गई पात्र सेवा की पुष्टि कर सके, और राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1) के तहत निर्धारित सूचना की अवधि को ऐसे मामलों में स्वाभाविक रूप से माफ किया हुआ माना जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनार्थ, “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य उस प्राधिकारी से होगा, जिसे उस सेवा या पद पर नियुक्ति करने की विधिक क्षमता प्राप्त हो, जिससे संबंधित सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है।

(8) [कोई भी सरकारी कर्मचारी जो नियम 50 के उप नियम (1) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना देता है, उसे यह संतुष्ट करना होगा (संदर्भ द्वारा) उस नियुक्ति प्राधिकारी को, जो उसे सेवानिवृत्त करने के लिए सक्षम है, कि वास्तव में उसने पेंशन के लिए 15 वर्षों की पात्र सेवा पूरी कर ली है।]

अधिसूचना दिनांक 14.01.2016

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (नियम शाखा) द्वारा अधिसूचना दिनांक 14.01.2016 को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में निम्नलिखित नियमों को आगे संशोधित किया तथा नियम 50 में संशोधन हेतु निम्नलिखित प्रावधान किए:-

“2. नियम 50 में संशोधन:- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50 के मौजूदा उप-नियम (4) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(4) वह सरकारी कर्मचारी, जिसने इस नियम के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए आवश्यक सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को दे दी है, वह उक्त प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति के बिना अपनी सूचना को वापस लेने का पात्र नहीं होगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना वापसी हेतु आवेदन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति के आदेश जारी होने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाएगा।

परंतु, यदि किसी सरकारी कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में इसकी सूचना उसे दे दी गई है, तो ऐसे मामले में उस सरकारी कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।

राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979 के नियम 2(क) का प्रावधान इस प्रकार है:

2(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” का अर्थ राजस्थान सरकार से है।

राजस्थान के कार्य संचालन नियम के नियम 11 एवं 12 का प्रावधान इस प्रकार है:

“11. राजस्थान सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए अथवा संपादित किए गए सभी आदेश या साधन, राज्यपाल के नाम से किए गए या संपादित किए गए माने जाएंगे।”

12 (i) सरकार का प्रत्येक आदेश या साधन एक सचिव, एक विशेष सचिव, एक अतिरिक्त सचिव, एक संयुक्त सचिव, एक उप सचिव, विधिक स्मरणकर्ता, संयुक्त विधिक स्मरणकर्ता, उप विधिक स्मरणकर्ता, सहायक विधि प्रारूपकार, सहायक विधिक स्मरणकर्ता, “मुख्य विधिक सहायक”, अवर सचिव या सहायक सचिव, विशेष कर्तव्य पर अधिकारी, नियुक्ति विभाग के अधिकारी, विशेष कर्तव्य पर अधिकारी (बजट), रजिस्ट्रार सरकारी शाखा, सचिवालय के अनुभाग अधिकारी, पंचायत समितियों के विकास अधिकारी अथवा उस विषय के लिए विशेष रूप से अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और ऐसे हस्ताक्षर उस आदेश या साधन की उचित प्रामाणिकता माने जाएंगे।

(2) “विभागाध्यक्ष” ऐसे अधिकारी-प्रभारी की नियुक्ति करेगा, जिन मामलों में विषय की कीमत 20,000/- रुपये (केवल बीस हजार रुपये) से अधिक नहीं है और जिन्हें उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों में चलाया जाना है।

21. किसी अन्य नियम में अन्यथा उपबंधित होने के अपवाद स्वरूप, सभी विभागों से संबंधित सामान्य विषयों के व्यवसाय का निपटान परिशिष्ट ‘बी’ में निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा, और अन्य विषयों से संबंधित व्यवसाय के निपटान के लिए, प्रभारी मंत्री या राज्य मंत्री, जैसा कि मामला हो, स्थायी आदेशों के माध्यम से, आवश्यक निर्देश दे सकते हैं।

31.(ii) मामले जिनमें नीति संबंधी प्रश्न उठते हैं तथा ऐसे सभी मामले, जिनका उल्लेख पहले से द्वितीय अनुसूची में नहीं किया गया है और जिनका प्रशासनिक महत्व है;

(ख) विभागाध्यक्ष;

अनुच्छेद 166 भारत के संविधान का

“166. राज्य सरकार के कार्य का संपादन:

- (1) राज्य सरकार की सभी कार्यपालक क्रियाएं राज्यपाल के नाम से की जाएंगी।
- (2) आदेश और अन्य साधन, जो राज्यपाल के नाम से किए और संपादित किए जाएं, उन्हें उस प्रकार प्रामाणिक बनाया जाएगा जैसा राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों में उल्लेखित किया गया है, और जो आदेश या साधन इस प्रकार प्रामाणिक किए गए हों, उनकी वैधता को इस आधार पर प्रश्नित नहीं किया जाएगा कि वह आदेश या साधन राज्यपाल द्वारा किए या संपादित नहीं किए गए हैं।”

(3) राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक निष्पादन के लिए तथा उक्त कार्यों का संबंधित मंत्रियों में वितरण करने के लिए, जहाँ ऐसी किसी बात पर राज्यपाल संविधान के तहत अपने विवेक अनुसार कार्य नहीं कर सकते, नियम बना सकते हैं।”

14. यह न्यायालय, सुवर्ण नियम की व्याख्या लागू करते हुए, उपर्युक्त प्रावधानों का नीचे लिखे अनुसार विश्लेषण करता है:

14.1 नियम 1996 के नियम 50(2) में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

14.2 नियम 1996 के नियम 50(3) में स्पष्टतः यह कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक/समयपूर्व सेवानिवृत्ति केवल किसी चुनाव में भाग लेने के दृष्टिगत चाहता है, तो ऐसे स्थिति में याचिकाकर्ता का वी आर एस का आवेदन तत्काल निपटाया जाएगा, बशर्ते सरकार को कारणों की सत्यता एवं पात्र सेवा की पुष्टि की जांच करने का अधिकार बना रहेगा, तथा नियम 50(1) के तहत निर्धारित नोटिस की अवधि ऐसे मामलों में स्वतः माफ मानी जाएगी।

14.3 उक्त नियमों के नियम 50(4) से भी स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि केवल यदि परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, जिसके आधार पर मूल रूप से सूचना/आवेदन दिया गया था, तब ही उक्त वी आर एस आवेदन का निरस्तीकरण/वापसी किया जा सकता है।

14.4 नियम 50(4) में किए गए संशोधन, जैसा कि परिशिष्ट/1 में परिलक्षित है, स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि जब कोई सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए

नियुक्ति प्राधिकारी को सूचना दे देता है, तो वह उक्त सूचना को उसी नियुक्ति प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति के अलावा वापस लेने का अधिकारी नहीं होगा। यह भी उल्लेखित है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना वापसी के लिए आवेदन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति के आदेश जारी होने से पहले नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

14.5 नियम 50(4) का परिशिष्ट कानून की स्थिति को और अधिक स्पष्ट करता है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी का वी आर एस का अनुरोध नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो और उसे इसकी सूचना भी दे दी गई हो, तो ऐसे मामले में उस सरकारी कर्मचारी को ऐसे स्वैच्छिक/समयपूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।

14.6 कार्य संचालन नियम के नियम 21 के अनुसार, परिशिष्ट बी, जिसका शीर्षक है 'सामान्य विषयों की व्यवसायिक निपटान की प्रक्रिया, के साथ पढ़ने पर, यह स्पष्टीकरण या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता 'गज़ेटेड ऑफिसर्स' श्रेणी का है। अतः, याचिकाकर्ता का वी आर एस आवेदन सचिव द्वारा निपटाया जाना था। इसलिए, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त द्वारा दी गई स्वीकृति में कोई अनियमितता या दुर्भावना नहीं है।

14.7 नियम 31(II) (बी) (i) स्पष्ट रूप से यह घोषित करता है कि किसी भी अधिकारी को बर्खास्त करने, पद से हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्ताव, आदेश जारी होने से पूर्व राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह अतिरिक्त रूप से यह स्पष्ट करता है कि उक्त वी आर एस आवेदन की स्वीकृति, अंततः, कार्य संचालन

नियमों के परिशिष्ट बी के तहत अधिकृत व्यक्ति अर्थात् सचिव द्वारा ही की जाएगी, जैसा कि नियम 21 के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने पर स्पष्ट होता है।

15. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय उचित समझता है कि याचिकाकर्ता द्वारा चुनाव के लिए टिकट प्राप्त न कर पाने का तथ्य और इस कारण, स्वीकृत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को वापस लेने की इच्छा, परिस्थितियों में कोई ठोस/महत्वपूर्ण परिवर्तन के आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब ऐसा आवेदन किया गया था, तब याचिकाकर्ता पर उसे प्रस्तुत करने के लिए कोई दबाव नहीं था। एक सरकारी कर्मचारी, जिसने इतने लंबे समय तक सेवा दी हो, उसे उक्त चुनाव लड़ने का निर्णय विचारपूर्वक और संबंधित राजनीतिक दल द्वारा अपनी उम्मीदवारी स्वीकार किए जाने की समुचित आशंका के साथ लेना चाहिए था। इतनी गंभीर प्रकृति का निर्णय जल्दबाजी या मात्र मनःस्थिति में नहीं लिया जा सकता था। अतः, विलंबित अवस्था में अर्थात् वी आर एस की स्वीकृति के एक माह बाद, याचिकाकर्ता वी आर एस के प्रभाव को वापस लेने का अनुरोध नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए कि जिस घटना में उसका सहभाग स्वैच्छिक था, वह उसके पक्ष में साकार नहीं हो सका। यदि ऐसी प्रक्रिया को अनुमति दी जाती है, तो न केवल सरकार बल्कि आम जनता को भी विभागीय कार्यों में उत्पन्न अस्थिरता के कारण प्रभावित किया जाएगा। अर्थात्, परिस्थितियों में कोई ठोस परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे वी आर एस के निर्णय को पलटने की आवश्यकता हो।

16. उपर्युक्त चर्चा के संदर्भ में, यह न्यायालय निम्नलिखित मत रखता है:-

16.1 दिनांक 19.10.2023 के स्वीकृति पत्र को मनमाना मानने का तर्क केवल विलंबित अवस्था में ही प्रस्तुत किया गया, जब याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी संबंधी विचार नहीं किया गया। अतः, इस अवस्था में ऐसे तर्क को मानना अनुचित होगा, क्योंकि उक्त स्वीकृति विधिसम्मत प्रावधानों और कार्य संचालन नियमों द्वारा समर्थित है।

16.2 याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे तथ्यात्मक रूप से भिन्न हैं, जिनमें उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से संज्ञान भी नहीं लिया गया।

16.3 वी आर एस की स्वीकृति केवल याचिकाकर्ता के उत्कृष्ट सेवा अभिलेख का विधिवत परीक्षण कर, नियम 50(3) में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन और याचिकाकर्ता द्वारा गंभीर अनुरोध किए जाने के बाद ही प्रदान की गई।

16.4 प्रतिवादियों के अधिवक्ता का यह तर्क कि सुपरएन्युएशन की आयु तक केवल 1 वर्ष 5 माह शेष हैं, इस संदर्भ में स्वीकार नहीं किया जा सकता, विशेषकर क्योंकि याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक वी आर एस चाहा और आवेदन स्वीकार करते समय समुचित प्रक्रिया का पालन किया गया। अतः, विलंबित अवस्था में किया गया यह पलटाव, स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

16.5 उक्त वी आर एस आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा अपनी पूर्ण अंतरात्मा एवं विवेक से, बिना किसी अनुचित प्रभाव के प्रस्तुत किया गया था। अतः, याचिकाकर्ता की वापसी/निरस्तीकरण नियमतः एस्टॉपल के नियम द्वारा स्वतः प्रतिबंधित होगी।

17. अतः, संक्षेप में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने अपनी स्वेच्छा, इच्छा और संपूर्ण चेतना से संबंधित प्राधिकारी के समक्ष वी आर एस हेतु आवेदन प्रस्तुत किया; नियम 50(3) स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि नियम 50(1) में प्रदत्त सूचना अवधि उन मामलों में, जहाँ वी आर एस चुनाव लड़ने के लिए चाहा जाता है, माफ मानी जाएगी; नियम 50(4) यह सुनिश्चित करता है कि एक बार वी आर एस आवेदन की स्वीकृति संबंधित सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को सूचित कर दी गई हो, उसके बाद उस वी आर एस आवेदन की वापसी नहीं की जा सकती; कार्य संचालन नियम के नियम 21 के अनुसार, याचिकाकर्ता का वी आर एस आवेदन, चूंकि वह गजटेड अधिकारी है, केवल सचिव द्वारा ही स्वीकृत किया जाना आवश्यक था; किसी सरकारी कर्मचारी, जिसने दीर्घकाल तक सेवा प्रदान की हो, को चुनाव लड़ने और वी आर एस लेने का निर्णय संबंधित राजनीतिक दल द्वारा उसकी उम्मीदवारी स्वीकार किए जाने की समुचित आशंका के साथ ही लेना चाहिए था, और केवल इस कारणवश कि बाद की घटनाएं उसके पक्ष में नहीं रहीं, उसे किसी विलंबित अवस्था में अपना निर्णय पलटने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः, उपर्युक्त टिप्पणियों के संदर्भ में, यह न्यायालय वर्तमान याचिका को निरस्त करना उचित समझता है।

18. परिणामतः, उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, वर्तमान याचिका निरस्त की जाती है। यदि कोई लंबित आवेदन हो, तो वे भी निपटाए गए माने जाएं।

(समीर जैन), जे

बी.एम.गांधी/दीपक/एस-340

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate